समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर
बेंच भोपाल

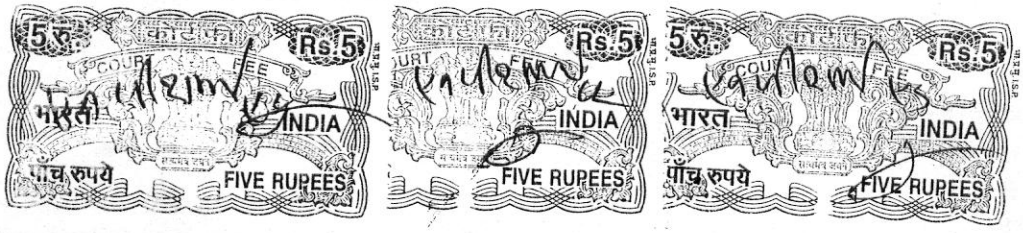

1. लक्ष्मीनारायण पिता स्व.श्री कृष्ण कुमार राजपूत
2. गोपाल कृष्ण पिता स्व.श्री कृष्ण कुमार राजपूत
दोनो निवासी सुभाष वार्ड, मंगलवारा, पिपरिया
तह. पिपरिया जिला होशंगाबाद .... पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपपंजीयक पिपरिया
2. कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक होशंगाबाद .... उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 56 की उपधारा 4 भारतीय स्टॉम्प अधिनियम

पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण याचिका न्यायालय श्रीमान कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक होशंगाबाद द्वारा प्रकरण क्रं. 3बी/103 वर्ष 2014–15 पक्षकार म.प्र. शासन द्वारा उप पंजीयक पिपरिया विरूद्ध कृष्ण कुमार राजपूत एवं दो अन्य में पारित एक पक्षीय आदेश दिनांक 09.06.2015 से क्षुब्ध व दुखी होकर निम्न आधारों पर प्रस्तुत कर रहे हैं :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-7245-ABR/16 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–1–2017	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह निगरानी कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–6–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 21–11–16 को लगभग डेड़ वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आवेदकगण की ओर से विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने से आवेदकगण का यह विधिक दायित्व था कि वे विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए विलम्ब का समाधानकारक कारण बतलाते, परन्तु उनके द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	